न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)

प्रार्थना पत्र संख्या :– 16/प्रा0पत्र/2020

पीठासीन अधिकारी :– कमल कुमार मीना (RAS)

मोहनलाल आ0 भगवान लाल गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम लाम्बाखोह तहसील तालेडा जिला बून्दी हाल निवासी रावतभाटा जिला चित्तौडगढ

प्रार्थी

बनाम

1. त्रिलोक पुत्र मोहन जाति नाई निवासी ग्राम सूतडा
2. ज्ञानचन्द पुत्र मोहन जाति नाई निवासी ग्राम सूतडा
3. मन्जू पुत्री मोहन जाति नाई निवासी ग्राम सूतडा
4. लीला पुत्री मोहन जाति नाई निवासी ग्राम सूतडा
5. घीसी बाई पत्नी स्व0 मोहन जाति नाई निवासी ग्राम सूतडा तहसील तालेडा जिला बून्दी
6. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तालेडा

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट

दिनांकः–11.02.2021

–: आदेश :–

1. प्रार्थी ने दिनांक 27.02.2020 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया।
2. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मे वर्णित किया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 1086/227 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा किस्म बंजड़ वाके ग्राम सूतड़ा पटवार क्षैत्र धनेश्वर तहसील तालेड़ा जिला बून्दी मे विस्थित है। उक्त भूमि के मूल खसरा संख्या 227 है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी मे उक्त खसरा संख्या की भूमि की पी–14 मे प्रार्थी का नाम कब्जाधारी के रूप मे दर्ज है। प्रार्थी उक्त भूमि पर बहैसियत खातेदार कास्तकार निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज कास्त है। प्रार्थी ने ही उक्त भूमि ने 30 वर्षो पूर्व आबाद कर कृषि योग्य बनाया था। खसरा संख्या

उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा जिला बून्दी(राज0)

Scanned with CamScanner

1086/227 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि के चारों ओर सीमाबंदी के लिए प्रार्थी ने कच्चे पत्थरों की बाउन्ड्री वॉल करवा रखी है। उक्त भूमि को प्रार्थी अपने मवेशियों को बांधने, कृषि जिंस व उपकरण रखने एवं खलिहान के रूप मे उपयोग व उपभोग मे लेता चला आ रहा है। प्रार्थी के कब्जे कास्त की उक्त भूमि नक्शा ट्रेस मे प्रारम्भ से ही अप्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1085/227 के उत्तरी ओर स्थित है। प्रार्थना पत्र के चरण क्रम 2 मे वर्णित भूमि के दक्षिण ओर नक्शा ट्रेस मे अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 के खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1085/227 रकबा 2 बीघा वाके ग्राम सूतड़ा की भूमि स्थित है। वर्तमान समय मे तालेड़ा व बून्दी तहसीलों के खातेदारी व सिवाईचक भूमियों के रकबे व खसरा नक्शा ट्रेस की तरमीम बीघा बिस्वा से हैक्टेयर मे परिवर्तन करते हुये राजस्व रिकॉर्ड के पुनःरिक्षण प्रविष्टियों व ऑनलाईन इन्द्राज का कार्य चल रहा है जो लगभग पूर्ण हो चुका है। प्रार्थी ने दिनांक 24–02–2020 को प्रार्थना पत्र के चरण क्रम 2 मे वर्णित खसरा नक्शा की ऑनलाईन कम्प्यूटरीकृत नकल प्राप्त की है जिसमे प्रार्थना पत्र के चरण क्रम 2 मे वर्णित भूमि खसरा संख्या 1086/227 को उत्तर की तरफ अंकित नहीं करके दक्षिण की ओर दर्शा दिया है। अप्रार्थीगण की खसरा संख्या 1085/227 को दक्षिण की तरफ अंकित नहीं करके उत्तरी ओर शेड से दर्शाया गया है। उक्त त्रुटिपूर्ण तरमीम कम्प्यूटर लिपी द्वारा सहवन से कर दी गई है। अप्रार्थीगण दिनांक 25–02–2020 को प्रार्थी के कब्जे कास्त की प्रार्थना पत्र के चरण क्रम 2 की भूमि पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा करने की नियत से आये और प्रार्थी के बाउन्ड्री वॉल के पत्थरों को हटाने लग गये। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य पूर्ण रूप से अवैधानिक व गैर कानूनी है। अन्त मे प्रार्थना की गई की अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह गलत स्थान पर तरमीम की गई प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 2 मे वर्णित भूमि खसरा संख्या 1086/227 पर से नाजायज रूप से प्रार्थी को बेदखल नहीं करें, जबरन कब्जा नहीं करें, एवं भूमि के स्वरूप को नहीं बिगाड़े, प्रार्थी को उक्त भूमि के उपयोग उपभोग मे लेने के अधिकार मे कोई अवरोध पैदा नहीं करें।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का जवाब

उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा जिला बून्दी(राज0)

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत करते हुये प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुये मुख्य रूप से वर्णित किया कि प्रार्थी ग्राम सूतड़ा का निवासी है। अप्रार्थीगण अपने खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि पर वर्षो से काबिज कास्त है। नक्शा ट्रेस मे किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हुई है। दिनांक 25–02–2020 को प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ है। प्रार्थी भूमि खसरा संख्या 1086/227 वाके ग्राम सूतड़ा का खातेदार अभिधारी नहीं है बल्कि राजस्व रिकॉर्ड मे सिवाईचक दर्ज है। इस प्रकार उक्त भूमि पर प्रार्थी का किसी प्रकार का हक व अधिकार नहीं है। माननीय न्यायालय मे एक वैध अभिधारी ही वाद प्रस्तुत कर सकता है। प्रार्थी भूमि खसरा संख्या 1086/227 का खातेदार नहीं है। इसलिए वाद प्रस्तुत करने का कोई हक व अधिकार नहीं है अन्त मे प्रार्थना की गई कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किये जाने योग्य है।

4. अप्रार्थीगण के द्वारा लिखित बहस पेश की गई। प्रार्थी के द्वारा लिखित बहस के उत्तर मे कोई जवाब पेश नही किया गया।

5. उभय पक्षों की बहस सुनने के पश्चात पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया। अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का निधारण करने के लिए मुख्य रूप से निम्न 3 बिन्दू निश्चित करने होते है। प्रथम दृष्टिया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूर्णिय क्षति के बिन्दू।

प्रथमदृष्टिया मामला :– यहा पर यह स्वीकृत्त स्थिति है कि प्रार्थी खातेदार की हैसियत से यह वाद पत्र पेश नही किया है ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे प्रथम दृष्टया प्रमाणित होता हो कि प्रार्थी भूमि खसरा संख्या 1086/227 का खातेदार हो तथा मौके पर काबिज कास्त हो। साथ ही में प्रार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे प्रथमदृष्टया यह प्रमाणित होता हो कि उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के नक्शा ट्रेस मे गलत इन्द्राज हुआ हो। इसके विपरीत अप्रार्थीगण खातेदार कास्तकार है। प्रार्थी को उक्त भूमि पर किस अधिकार के सम्बन्ध मे अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा चाहता है तथा उक्त अधिकार क्या प्रार्थी को इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किया गया है। उक्त अधिकार प्रार्थी के द्वारा न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं किये जाने के कारण प्रार्थी व्यथित पक्ष नहीं है। प्रार्थी के द्वारा न्यायालय के समक्ष ऐसी

उप खण्ड अधिकारी जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा जिला बून्दी(राज0)

Scanned with CamScanner

कोई जमाबंदी, खेवट खतौनी, लगान की रसीदें, खसरा गिरदावरी आदि दस्तावेज पेश नहीं किये हैं। इस प्रकार प्रार्थी उक्त भूमि पर स्वयं का कब्जा साबित करने मे पूर्णतया असफल रहा है। इसके विपरीत अप्रार्थीगण वाद वर्णित भूमि के खातेदार कृषक हैं जिनको राजस्व अभिलेख की प्रविष्टियां खातेदार कृषक स्वीकार करती है। साथ ही प्रार्थी के द्वारा न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई जमाबंदी, खेवट खतौनी, लगान की रसीदें, खसरा गिरदावरी, नक्शा ट्रेस आदि दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं जिनसे उपरोक्त कृषि भूमि के राजस्व नक्शे मे इन्द्राज की त्रुटि हुई हो। इस प्रकार प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मे जांच के लिए कोई सारवान प्रश्न अर्न्तनिहित नहीं हैं उपरोक्त विवेचन एंव विश्लेषण के अनुसार प्रार्थी के पक्ष मे प्रथम दृष्टया मामला बनना नहीं पाया जाता है।

सुविधा का संतुलन एंव अपूर्णिय क्षति के बिन्दू :– उपरोक्त दोनों बिन्दुओं का सुविधा की दृष्टि से एक साथ विवेचन एंव विश्लेषण किया जा रहा है। प्रार्थी कृषि भूमि खसरा संख्या 1086/227 का खातेदार कृषक नहीं है। प्रार्थी का वाद वर्णित भूमि पर कोई हक व अधिकार नहीं होने के कारण किसी भी प्रकार की प्रार्थी को असुविधा उत्पन्न हो, ऐसा प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए प्रार्थी के पक्ष मे सुविधा का संतुलन भी तय नहीं होता है। प्रार्थी के पक्ष मे अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन स्वीकार किया जाता है तो अप्रार्थीगण को भारी अपूर्णनीय क्षति होगी। अप्रार्थीगण अपने खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि का उपयोग उपभोग नही कर पाएगें। उपरोक्त विवेचन एंव विश्लेषण अनुसार उपरोक्त दोंनों बिन्दू प्रार्थी के विरूद्ध, अप्रार्थीगण के पक्ष में तय किये जाते है। परिणाम स्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

उक्त आदेश आज दिनांक 11.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(कमल कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा जिला बूंदी (राज0)

Scanned with CamScanner